न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –12/2016 जिला अलवर

1. लालचन्द उर्फ सुनिल पुत्र श्री गणेश, जाति मीणा, निवासी ग्रम मेहराना, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. भिक्कन पुत्र पून्नू जाति शिकारी, निवासी करीरिया तहसील लक्ष्मनगढ, जिला अलवर ।
2. श्रीमती सन्तो पुत्री पून्नू पत्नी श्री गणेश जाति शिकारी, निवासी तिजारा रोड,साहब जोहडा, अलवर (राज.)
3. मु. चन्दो पुत्री पुन्नू पत्नि धारा, जाति शिकारी, हांल निवासी तिजारा रोड साहब जोहडा, अलवर (राज.)

असल रेस्पोंडेन्ट

4. श्रवण पुत्र शैतान जाति राजपूत निवासी करीरिया
5. दीप सिंह पुत्र श्री श्योदान कौम राजपूत निवासी करीरिया तहसील लक्ष्मनगढ, जिला अलवर
6. बाबू लाल पुत्र फूल सिंह कौम राजपूत निवासी शिवाजी पार्क, अलवर ।
7. पूरण सिंह पुत्र श्योराम सिंह कौम राजपूत निवासी गाजूका तहसील अलवर, जिला अलवर ।
8. किशन सिंह पुत्र श्री तेज सिंह जाति राजपूत निवासी करीरिया तहसील लक्ष्मनगढ, जिला अलवर ।

तरतीबी रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार लक्ष्मनगढ, जिला अलवर दिनांक 9.2.2009

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री मुकेश कुमार शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री कृष्ण कुमार रायजादा

निर्णय

दिनांक– 22.1.2018

पत्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, लक्ष्मनगढ, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 9.2.2009 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम करीरिया स्थित आराजी के खातेदार पून्नू पुत्र बुधा कौम शिकारी की विरासत का नामांतरकरण संख्या 270 ग्रम पंचायत मौलिया द्वारा दिनांक 5.4.90 को भिक्कन पुत्र पून्नू के नाम स्वीकार किया गया जिससे व्यथित होकर पून्नू की पुत्री सन्तो द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मनगढ के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो उनके निर्णय दिनांक 29.2.2008 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 270 दिनांक 5.4.90 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मनगढ, जिला अलवर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया गया कि पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर तथा वारिसान की सम्यक जॉच कर विवादित नामांतरकरण का पुनः निर्णय करें । उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मनगढ के उक्त निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार लक्ष्मनगढ द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.2.2009 पारित किया गया कि "आराजी खसरा नम्बर 132 रकबा 4–16 पूर्ण हिस्सा, 134 रकबा 0–02 का 1/4 हिस्से का नामांतकरण संख्या 299 के आधार पर क्रेतागण बनेसिंह, बाबू लाल, पि. फूल सिंह कौम राजपूत सा. अलवर , आराजी खसरा नम्बर 204 रकबा 5–19 का 39/119 हिस्से का नामांतरकरण संख्या 844 के आधार पर क्रेतागण पूरण सिंह पुत्र श्योराम सिंह कौम राजपूत सा. गाजूका तहसील अलवर, आराजी खसरा नम्बर 121 रकबा 1–01 पूर्ण हिस्से का नामांतरकरण संख्या 461 के आधार पर क्रेतागण धर्म सिंह, दीप सिंह पि. श्योदान सिंह समान भाग कौम राजपूत सा. देह , आराजी खसरा नम्बर 204 रकबा 5–19 का 80/119 हिस्से का नामांतरकरण संख्या 668 के आधार पर क्रेतागण मलखान सिंह , श्रवण सिंह पि. शैतान सिंह कौम राजपूत सा. देह, आराजी खसरा नम्बर 249 रकबा

2.00 पूर्ण हिस्से का नामांतरकरण संख्या 477 के आधार पर क्रेतागण किशन सिंह पुत्र तेज सिंह कौम राजपूत सा. देह के नाम तथा नामांतरकरण संख्या 270 वाके ग्रम करीरिया की शेष आराजी पर मृतक पून्नू के जायज वारिसान भिक्कन पुत्र पून्नू, सन्तो पुत्री पून्नू , चन्दो पुत्री पून्नू के नाम समान भाग स्वीकार किया जाता है'' । तहसीलदार के उक्त आदेश के खिलाफ अपीलान्ट लालचन्द उर्फ सुनिल पुत्र गणेश जाति मीणा द्वारा यह अपील इस न्यायालय में धारा 96 सी.पी.सी. एवं मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 19.9.2016 को प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ दिनांक 9.2.2009 को संशोधित करते हुये विवादित आराजी खसरा नम्बर 206 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्रम करीरिया तहसील लक्ष्मणगढ का जो इन्तकाल संख्या 359 अपीलान्ट के नाम तस्दीक किया गया है, को यथावत कायम रखे जाने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार पुन्नू पुत्र बुद्धा जाति सिकारी के स्वर्गवास होने पर विरासत का इन्तकाल संख्या 270 ग्रम पंचायत मोलिया द्वारा दिनांक 5.4.1990 को भिक्कन पुत्र पुन्नू के नाम स्वीकार किया गया था जिसका अमल जमाबन्दी संवत 2047 में कर दिया गया था । भिक्कन पुत्र पुन्नू ने विवादित आराजी भिन्न भिन्न विक्रय पत्रों द्वारा भिन्न भिन्न लोगों को विक्रय करदी जिसमें से आराजी खसरा नम्बर 206 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र संख्या 426 दिनांक 26.5.1990 से श्री विजय सिंह पुत्र बख्तावर सिंह राजपूत को विक्रय की थी तथा इस विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता विजय सिंह के नाम इन्तकाल संख्या 272 दिनांक 21.6.1990 तस्दीक हो गया था । इसके पश्चात् विजय सिंह ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 206 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संख्या 237 दिनांक 8.6.1993 द्वारा अपीलान्ट लालचन्द पुत्र गणेश जाति मीणा को विक्रय करदी ओर इस विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण संख्या 359 दिनांक 10.6.1993 अपीलान्ट लालचन्द पुत्र गणेश मीणा के नाम उप तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा तस्दीक किया गया ।

विवादित भूमि के मृतक खातेदार पुन्नू की विरासत के नामांतरकरण संख्या 270 दिनांक 5.4.90 जो भिक्कन पुत्र पुन्नू के नाम तस्दीक हुआ था, के खिलाफ अपील मृतक खातेदार पुन्नू की पुत्री श्रीमती सन्तो ने न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के समक्ष अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना ही प्रस्तुत की थी, जो उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 29.2.2008 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 270 दिनांक 5.4.90 निरस्त किया गया एवं प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ को पुनः निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के उक्त निर्णय दिनांक 29.2.2008 की अनुपालना में तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा बिना जॉच किये व बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये इकतरफा में निर्णय दिनांक 9.2.2009 पारित कर दिया जिसकी जानकारी अपीलान्ट को किसी भी प्रकार से नहीं हो सकी ओर वह अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं रख सका । अपीलान्ट द्वारा दिनांक 13.6.16 को हाल जमाबन्दी की नकल पटवारी से प्राप्त की जिस पर इन्तकाल संख्या 270 का अमल असल रेस्पोंडेन्ट्स के नाम होने की जानकारी हुई ओर दिनांक 23.6.2016 का नकल प्राप्त करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 23.6.16 को नकल प्राप्त की , लेकिन अपीलान्ट टाईफाईड की बीमारी से पीडित हो गया ओर स्वस्थ होने पर कानूनी सलाह लेकर अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत की है । अतः विलम्ब को क्षमा किया जावे । उनका कहना था कि अपील के तरतीबी रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 से 8 को उक्त कार्यवाही की जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 जा.दी. प्रस्तुत कर प्रकरण में पक्षकार बने ओर अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें सुनकर व उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर विचार करते हुये आदेश पारित किया कि चूंकि उक्त लोगों के हक में पूर्व में दर्ज हुए इन्तकाल के आधार पर भिक्कन पुत्र पुन्नू ने भिन्न भिन्न आराजी को भिन्न तारीखन में इन लोगों के हक में विक्रय कर दी ओर जिसका इन्तकाल भी भिन्न नम्बरों पर भिन्न तारीखन में इन लोगो के हक में तस्दीक किया जा चुका है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने उन इन्तकाल को जो तरतीबी रेस्पोंडेन्ट के पक्ष में तस्दीक किये गये हैं को यथावत कायम रखते हुये शेष आराजीयात के बाबत मृतक पुन्नू के सभी वारिसान के नाम अमल किये जाने का आदेश फरमाया है । उक्त कार्यवाही का इल्म अपीलान्ट

को नहीं होने से वह अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं रख सका । विवादित आराजी खसरा नम्बर 206 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्रम करीरिया अपीलान्ट की खरीदशुदा आराजी है जिसकी खातेदारी भी अपीलान्ट के नाम इन्तकाल संख्या 359 तस्दीक किया जाकर जमाबन्दी संवत 2051 में अमल किया जा चुका है । इन हालात में जैसा कि तरतीबी रेस्पोंडेन्ट का इन्तकाल यथावत कायम रखा गया है उसी प्रकार मिन अपीलान्ट की खरीदशुदा आराजी का इन्तकाल भी यथावत कायम रखा जाना कानूनन व न्यायहित में आवश्यक है । अपीलान्ट का खरीदशुदा आराजी पर खरीद के बाद से कब्जा चला आ रहा है । उनका कहना था कि आराजी खसरा नम्बर 206 हाल जमाबन्दी में असल रेस्पोंडेन्ट का नाम दर्ज किया जा चुका है जिस कारण से अब वे उपरोक्त आराजी पर बलपूर्वक कब्जा करने तथा आराजी से अपीलान्ट को खुर्द बुर्द करने की कोशिश में है और यदि ऐसा कर दिया गया तो अपीलान्ट को नापूर्ति होने वाला नुकसान होगा तथा स्थिति मौका तब्दील हो जावेगा तथा अपीलान्ट तबाह व बरबाद हो जावेगा । अपीलान्ट विवादित भूमि खसरा नम्बर 206 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का विधिवत केता है जो अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था । अतः अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान करते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा तहसीलदार लक्ष्मणगढ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.2.2009 में संशोधन करते हुये विवादित आराजी खसरा नम्बर 206 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्रम करीरिया तहसील लक्ष्मणगढ का जो इन्तकाल संख्या 359 अपीलान्ट के हक तस्दीक किया गया है, को यथावत कायम रखे जाने के आदेश पारित किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार पुन्नू की विरासत का नामांतरकरण ग्रम पंचायत द्वारा मात्र उसके पुत्र भिक्कन के नाम स्वीकार कर दिया था जबकि मृतक खातेदार पुन्नू के 2 पुत्रियॅा सन्तो एवं चन्दो भी थी । पुन्नू की पुत्री सन्तो की अपील उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ ने निर्णय दिनांक 29.2.2008 से स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 270 जो पुन्नू की विरासत का भिक्कन के नाम तस्दीक किया गया था, को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड किया था जिस पर तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.2.2009 पारित कर विवादित शेष आराजी का नामांतरकरण संख्या 270 मृतक खातेदार पुन्नू के जायज वारिसान भिक्कन पुत्र पुन्नू व सन्तो पुत्री पुन्नू एवं चन्दो पुत्री पुन्नू के नाम समान भाग का स्वीकार किया गया है । उनका कहना था कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुत्रियॅा भी पिता की सम्पत्ति में पुत्र के समान हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार रखती है । इस प्रकार अपीलाधीन आदेश तहसीलदार दिनांक 9.2.2009 उचित एवं विधिसम्यक है । उनके द्वारा इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 88/2009 एवं 89/2009 उनवानी महावीर सिंह बनाम श्रीमति सन्तो जो उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 29.2.2008 एवं उप खण्ड अधिकारी के इस निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.2.2009 के खिलाफ प्रस्तुत अपीलों में निर्णय दिनांक 20.10.2010 पारित कर अपीलाधीन आदेशों को उचित मानते हुये अपीलान्ट की दोनों अपीलें खारिज की है , की फोटो प्रति भी प्रस्तुत कर कथन किया कि अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों में अंकित तथ्यों एवं प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये न्याय हित में विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया क्षमा किया जाता है तथां अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान किया की जाती है । प्रकरण में विवाद विवादित भूमि के खातेदार पुन्नू की विरासत का है । मृतक खातेदार पुन्नू के एक पुत्र भिक्कन व दो पुत्रियॅा सन्तो व चन्दो थी , लेकिन पुन्नू की विरासत का नामांतरकरण पुत्रियों को छोडते हुय केवल पुत्र भिक्कन के नाम स्वीकार कर दिया । पून्नू की पुत्री सन्तो की अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मनगढ के निर्णय दिनांक 29.2.2008 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 270 दिनांक 5.4.90 निरस्त करते हुये प्रकरण पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर तथा वारिसान की सम्यक जॅाच कर विवादित नामांतरकरण का पुनः निर्णय करने हेतु तहसीलदार लक्ष्मनगढ, जिला अलवर को प्रतिप्रेषित किया गया । उप खण्ड

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिकारी लक्ष्मनगढ के उक्त निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार लक्ष्मनगढ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.2.2009 पारित विभिन्न विक्रेताओं को विक्रय की गई भूमि के पश्चात् नामांतरकरण संख्या 270 वाके ग्रम करीरिया की शेष आराजी पर मृतक पून्नू के जायज वारिसान भिक्कन पुत्र पून्नू, सन्तो पुत्री पून्नू , चन्दो पुत्री पून्नू के नाम समान भाग स्वीकार करने के आदेश दिये हैं । अपीलान्ट विवादित भूमि में से खसरा नं. 206 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विधिवत क्रेता है एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट के नाम नामांतरकरण संख्या 359 दिनांक 10.6.93 का उप तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलान्ट विवादित भूमि में से खसरा नमबर 206 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का विधिवत क्रेता है एवं उसके नाम नामांतरकरण भी तस्दीक हो चुका है । एसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में न्यायिक एवं आवश्यक था , लेकिन रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 सन्तो पुत्री पुन्नू द्वारा उसके पिता की विरासत के नामांतरकरण संख्या 270 दिनांक 5.4.90 के खिलाफ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया तथा न ही तहसीलदार लक्ष्मणगढ ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया । चूंकि अपीलान्ट विवादित भूमि में से आराजी खसरा नम्बर 206 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का विधिवत क्रेता है ओर उसके नाम नामांतरकरण संख्या 359 दिनांक 10.6.93 को तस्दीक हो चुका है । तहसीलदार लक्ष्मणगढ ने अपीलान्ट को बिना सुने व बिना नोटिस दिये अपीलाधीन आदेश से रेस्पोंडेन्ट भिक्कन पुत्र पुन्नू द्वारा विवादित आराजी में से विक्रय की गई आराजी के कुछ क्रेताओं के नाम बैयनामें के आधार पर तस्दीक नामांतरकरण संख्या 299, 844, 461, 668, 477 को यथावत रखते हुये शेष बची भूमि का नामांतरकरण संख्या 270 मृतक पून्नू के जायज वारिसान भिक्कन पुत्र पून्नू, सन्तो पुत्री पून्नू , चन्दो पुत्री पून्नू के नाम समान भाग स्वीकार किये जाने के आदेश दिये हैं , जो विधि विरूद्ध , त्रुटिपूर्ण एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है तथा प्रकरण उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय करने हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला अलवर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला अलवर दिनांक 9.2.2009 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला अलवर को उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर